2017/00459

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सुरेन्द्र खीचड़ पुत्र श्री प्रहलाद वार्ड नं. 15 रावला मण्डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 251 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.17	**: निर्णय :** 1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। प्रत्यर्थी के विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29.06.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 2001 दिनांक 23.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 1212 दिनांक 01.8.17 को जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को भिजवाई जाचुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा अपीलार्थी को रेकर्ड में उपलब्ध सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की जाचुकी है। अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official